राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

उमेश कुमार बनाम सुरेशचन्द

तारीख हुक्म	434/2024 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18/02/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 25/02/2026 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	
25/02/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत घोषणा, इन्द्राज दुरुस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा मय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 05/02/2024 पारित करते हुये प्रार्थी को अन्तरिम पर पूर्व में दिनांक 31/10/2023 को सुना जाना मानते हुये कोई अन्तरिम आदेश दिया जाना उचित नही समझते है के आदेश पारित किया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रार्थना पत्र धारा 05 कानून मियाद के साथ प्रस्तुत की गयी। जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अपीलार्थी द्वारा यह अपील मियाद बाहर धारा-5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की गयी है एवं चूँकि अपीलार्थी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी रहे है ऐसेमें अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कन्डोन करवाने हेतु अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र धारा-5 मियाद अधिनियम में अंकित तथ्य स्वीकार योग्य जाहिर नही होते है। इसके अतिरिक्त अपीलार्थी अपील के स्तर पर प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्तनीयक्षति के बिन्दुओ को अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहे है। अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 05/02/2024 में कोई हस्तक्षेप नही करते हुये अपील अपीलार्थी मियाद बाहर प्रस्तुत होना धारित कर एवं गुणावगुण पर भी बलहीन होने से ख़ारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 25/02/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	